



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

लेखा / क्रमांक / 2024-25/2655

दिनांक : 14 / 06 / 2024

प्रति,

शाखा प्रबंधक

.....
.....

विषय: सावधिजमा (F.D.R.) में विनियोजन हेतु बैंको से ब्याज दर प्राप्त करने बाबत।

विश्वविद्यालय की विभिन्न सावधि जमा जो कि माह जुलाई 2024 में परिपक्व हो रही हैं। जिसकी परिपक्वता कुल राशि ₹ 39,21,20,223 /- (रु. उनतालीस करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार दो सौ तेईस) मात्र का परिपक्वता तिथि अनुसार सावधि जमा में विनियोजन किया जाना है। अतः आपकी बैंक द्वारा सावधि जमा पर लागू ब्याज दर को निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 27/06/2024 को सांय 05.00 बजे तक विश्वविद्यालय के बिशनखेडी स्थित नवीन परिसर में लेखा शाखा के निविदा बाक्स में जमा करें अथवा rinkijainfo.mcu@gmail.com पर प्रेषित करें।

स. क्र.	अवधि	₹ 03 करोड़ से कम पर ब्याज दर	₹ 03 करोड़ से 10 करोड़ पर ब्याज दर	₹ 10 करोड़ से अधिक पर ब्याज दर
1	1 वर्ष			
2	2 वर्ष			
3	3 वर्ष			
4	4 वर्ष			
5	5 वर्ष			

- नोट:- 1. उक्त विनियोजन पर बैंक द्वारा यदि विशेष ब्याज दर निर्धारित की गई हो तो अपने प्रस्ताव में इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
2. आपके बैंक द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर 30/07/2024 तक की अवधि के लिये वैध (Valid) होनी चाहिये।
3. बैंक द्वारा प्रस्तुत ब्याज दरें प्रतिदेय (Callable) हो जिससे कि विश्वविद्यालय को समयपूर्व नगदीकरण करवाने पर ब्याज की प्राप्ति हो सके।
4. बैंक द्वारा प्रस्तुत ब्याज दर टेंडर लेटर में बैंक का ई-मेल एंव मोबाईल/फोन नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें।

भवदीय,

(रिंकी जैन)
वित्ताधिकारी